

विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत गैस्ट फैक्लटी हेतु आवेदन प्रारूप

महाविद्यालय का नाम :-

आवेदक का नाम :-.....

पिता का नाम :- .....

माता का नाम :-.....

विषय का नाम :-.....

जन्म तिथि :- .....

आधार कार्ड नं. :-.....

ई-मेल आई डी :- .....

श्रेणी :- सामान्य /ओ.बी.सी /एससी /एसटी /एमबीसी /ईडब्ल्यू एस / महिला

वर्तमान पता :- .....

.....

.....


स्थायी पता:-.....

.....

.....

मोबाईल नं :-.....

योग्यता :-.



क्र. स	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	अंक निर्धारण
1.	10वीं						
2.	12वीं						
3.	स्नातक						
4.	अधिस्नातक						
5.	एम.फिल						
6.	पीएच.डी.						
7.	जेआरएफ सहित नेट						
8.	नेट / स्लेट या सैट						
9.	अध्यापन अनुभव						
10.	शोध पत्र प्रकाशन						
11.	पुरस्कार						

शोध प्रकाशन :- (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूची बद्ध जर्नल में प्रकाशित)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

शिक्षण/पोस्ट डाक्टरल अनुभव :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

पुरस्कार:-

1. (अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के द्वारा दिये गये पुरस्कार) :-

.....  
.....  
.....

2. राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार) :-

.....  
.....  
.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर सलंग्न करें।

## शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ( संस्थान का नाम )..... में दिनांक..... को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2025 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैंकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूँ।

1. यह है कि मैंने.....संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु बचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सानान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र ) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा /करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ, करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2025 जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

## सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहित

RajKaj Ref  
8029676

Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.06.21 17:43:17 IST  
Reason: Approved